न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–176/2022 दायर दिनांक: 1.8.2022
GCMS NO:- 2022/324 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

अमरलाल आ0 लादूलाल जाति कालबेलिया नि. ऊंचा बरडा सीसोला तहसील नैनवॉ वगै0
(कुल 18)

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम महावीरपुरा प.म. सीसोला मे खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 1564/1764 रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है।

यह कि प्रार्थीगण गरीब व कालबेलिया जाति के व्यक्ति है जो सीधे साधे व सरल स्वभव के होने से आस पडोस के खातेदार आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि को हांकने व जोतने नही देते है। उक्त भूमि के सीमांकन नही होने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा पेश व शपथ पत्र पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्रापत हो चुकी है जिसमे उक्त भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात ही पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना अवगत कराया है। उक्त प्रकरण को चलते लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है तथा यह एक समरी ट्रायल है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम महावीरपुरा प.म. सीसोला मे खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 1564/1764 रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं